कार्यालय : अनुशासनिक प्राधिकारी (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर।

—: कार्यालय आदेश :—

क्रमांक :— ५५ दिनांक :— 23.04.25

इस न्यायक्षेत्र में नियुक्त/पदस्थापित श्री दिनेश कुमार बाघेला, शेरिस्तेदार ग्रेड—III अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जैसलमेर वर्ष 2024 में 19.01.2024 से न्यायालय/कार्यालय में न ही उपस्थित हुए और न ही अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में नोटिस क्रमांक 08 दिनांक 18.01.2024 दिया गया, परन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार बिना अवकाश स्वीकृत कराये व बिना सूचना दिये स्वैच्छापूर्वक राजकीय कर्तव्य से अनुपस्थित रहने बाबत् संबंधित न्यायालय द्वारा नोटिस क्रमांक 28 दिनांक 24.01.2024 जारी कर अनुपस्थिति के संबंध में जवाब चाहा गया, परन्तु श्री बाघेला द्वारा उक्त नोटिस का भी जवाब नियत समय में पेश नहीं किया गया। इसी क्रम में अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही करने बाबत् भी अंतिम चेतावनी नोटिस क्रमांक 39 दिनांक 13.02.2024 जारी किया गया, परन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा उक्त नोटिस को लेने से मना किया।

इस कार्यालय के सूचना पत्रांक स्था./2024/1403 दिनांक 05.08.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाकर व्यक्तिगत सुनवाई/अभ्यावेदन हेतु अवसर दिया गया, परन्तु अपचारी कर्मचारी इस बाबत् भी उपस्थित नहीं आए।

अपचारी कर्मचारी श्री दिनेश कुमार बाघेला द्वारा पूर्व में राजकीय सेवा से त्याग पत्र भिजवाया गया। तत्पश्चात् एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त त्याग पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। इस प्रकार श्री बाघेला में अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र पेश करने की प्रवृत्ति पदीय कृर्तव्य के निष्पादन में अरूचि होना एवं न्यायिक कार्य के प्रति गंभीर नहीं होना तथा पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना पाया गया है।

अन्ततः श्री दिनेश कुमार बाघेला, शेरिस्तेदार ग्रेड—III के विरूद्ध विभागीय जांच संख्या 02/2024 अन्तर्गत धारा 16 सीसीए खोली जाकर ज्ञापन, आरोप पत्र एवं अभिकथनों का विवरण पत्र क्रमशः 1507, 1508 एवं 1509 दिनांक 27.08.2024 जारी किये गये, जो बाद चस्पान्दगी तामील हुए, क्योंकि कर्मचारी द्वारा उक्त दस्तावेजात को लेने से इन्कार किया गया, इसलिए इनके निवासीय कमरे के दरवाजे के पास कर्मचारी की उपस्थिति में चस्पा किए गये। तत्पश्चात् समुचित सुनवाई एवं अभ्यावेदन के अवसर दिये गये। इसके बावजूद अपचारी कर्मचारी द्वारा जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।

राजस्थान सीसीए रूल्स के नियम 16(10)(I)(क) के तहत अपचारी कर्मचारी श्री दिनेश कुमार बाघेला को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.03.2025 मय जांच अधिकारी की रिपोर्ट जारी किया गया, जो अपचारी कर्मचारी की उपस्थिति में बाद चस्पान्दगी तामील हुआ, जिसे पर्याप्त तामील मानी जाती हैं। बाद तामील नियत अवधि में अपचारी कर्मचारी द्वारा न तो व्यक्तिगत उपस्थिति दी और न ही अपने बचाव में कोई अभ्यावेदन दिया हैं।

आगे......

अतः मैं पूरण कुमार शर्मा, अनुशासनिक प्राधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर, जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होते हुए विभागीय जांच संख्या 02/2024 अन्तर्गत नियम 16 सीसीए में अपचारी कर्मचारी श्री दिनेश कुमार बाघेला, शेरिस्तेदार ग्रेड–III, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट्र न्यायालय, जैसलमेर को दोषी मानते हुए नियम 14(vi) सीसीए रूल्स के तहत दण्डित किया जाकर एतद्द्वारा ''सेवा से हटाया'' जाता है, जो कि आगे नियोजन में निरर्हता नहीं होगी। विभागीय कार्यवाही पूर्ण की जाती हैं।

इस आदेश से श्री दिनेश कुमार बाघेला पुत्र श्री करमुराम, निवासी मकान नंबर 91, रीको कॉलोनी, जैसलमेर को अविलम्ब प्रदत्त की जावें। इस आदेश का इन्द्राज अपचारी कर्मचारी की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से किया जावें।

यह आदेश संबंधित को प्राप्त होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

—sd/-

(पूरण कुमार शर्मा)
अनुशासनिक प्राधिकारी,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश,)
जैसलमेर।

कमांकः स्था./2025/590 दिनांक :– 23.04.25

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
2. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट्र, जैसलमेर को प्रेषित कर निर्देश है कि श्री दिनेश कुमार बाघेला से राजकीय सामग्री/राशि इत्यादि बकाया हो तो नियमानुसार वसूल की जावें।
3. प्रभारी अधिकारी (स्टोर/लेखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर।
4. श्री दिनेश कुमार बाघेला पुत्र श्री करमुराम, निवासी मकान नंबर 91, रीको कॉलोनी, जैसलमेर
5. निजी पत्रावली श्री दिनेश कुमार बाघेला, शेरिस्तेदार ग्रेड–III, अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर।
6. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

अनुशासनिक प्राधिकारी,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश,)
जैसलमेर।